भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4747

उत्तर देने की तारीख 24 मार्च, 2021

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति का कार्यान्वयन

4747. श्री ई.टी. मोम्मद बशीर:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने उक्त नीति के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

संचार, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री संजय धोत्रे)

(क) से (ख) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 (एनडीसीपी-2018) की शुरूआत सर्वव्यापी, लचीली, सुरक्षित, सुलभ तथा वहनीय डिजिटल संचार अवसंरचना की स्थापना करके नागरिकों और उद्यमों की सूचना और संचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। इस नीति का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था बनाने तथा समाज में अंतरित करने में सहायता प्रदान करना है। इस नीति के अंतर्गत निर्धारित कार्यनीतिक उद्देश्य (लक्ष्य) और इसके कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

अनुबंध

क्र.सं.	राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 के कार्यनीतिक उद्देश्य और इसकी उपलब्धियां
1	**सभी के लिए ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना:** सरकार ने सभी के लिए ब्रॉडबैंड का वहनीय और सार्वभौमिक अभिगम उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शुरूआत की है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतनेट, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी), द्वीपसमूहों के लिए सीटीडीपी और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार टावर उपलब्ध कराने जैसी विभिन्न सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) परियोजनाओं और स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
2	**डिजिटल संचार क्षेत्र में 4 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना:** सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा की गई पहलों से देश के सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में ई-वाणिज्य, दूरसंचार प्रचालन, केबल टीवी प्रचालन आदि जैसे आर्थिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन मिला है। इसके परिणामस्वरूप अनेक रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है। हाल ही में अनुमोदित किया गया पीएम-वानी फ्रेमवर्क इस प्रकार के आर्थिक कार्यकलापों को और बढ़ावा देगा तथा देश में रोजगार के अनेक अवसर सृजित करेगा एवं उद्यमियों को प्रोत्साहन देगा।
3	**भारत के सकल घरेलू उत्पाद में डिजिटल संचार क्षेत्र के योगदान को 8 प्रतिशत तक बढ़ाना जो कि वर्ष 2017 में ~6 प्रतिशत था:** डिजिटल संचार देश में वृहत आर्थिक कार्यकलापों को संचालित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र ने ई-वाणिज्य, वित्त प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, शिक्षा प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, शहरी प्रौद्योगिकी आदि में सेवाओं का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया है। विशेषकर महामारी के बाद सरकार द्वारा नागरिकों और व्यवसायों को दूरसंचार के माध्यम से मुख्यत: प्रमुख सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है। इन सेवाओं के उपयोग के परिणामस्वरूप देश में वायरलेस डाटा खपत में 5 गुणा वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से, 4 वर्षों में औसत प्रति जीबी टैरिफ में लगभग 95 प्रतिशत की कमी आई है।
4	**भारत को आईटीयू की आईसीटी विकास सूचकांक में शीर्ष 50 देशों में लाना जो कि वर्ष 2017 में 134वें स्थान पर था:** आईटीयू द्वारा आईसीटी विकास सूचकांक को पिछली बार वर्ष 2017 में प्रकाशित किया गया था। तब से अभी तक इसका प्रकाशन नहीं किया गया है।
5	**ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत के योगदान को बढ़ाना:** ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत के योगदान को बढ़ाना सतत प्रक्रिया है। भारत को प्रमुख विनिर्माण

	केंद्र बनाने के लिए परीक्षण और अनुसंधान हेतु स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग मानकों को उदारीकृत करने, स्वदेशी ओईएम हेतु आयात लाइसेंस अपेक्षाओं का सरलीकरण करने जैसे कई कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2017-18 की तुलना में, दूरसंचार उपकरणों (मोबाइल फोन, पुर्जों तथा दूरसंचार केबल) के आयात में कमी आई है तथा नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्यात निरंतर रूप से बढ़ा है जिसके परिणामस्वरूप ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत का योगदान बढ़ा है:

वर्ष	निर्यात* (करोड़ रूपए में)	आयात* (करोड़ रूपए में)
2017-18	11,023	1,49,546
2018-19	22,583	1,33,585
2019-20	37,963	1,06,195

***स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय**

6	**डिजिटल संप्रभुता को सुनिश्चित करना:** भारतीय तार अधिनियम-1885 तथा इसके तहत बनाई गई भारतीय तार नियमावली में संचार की गोपनीयता, निजता तथा गुप्तता को सुरक्षित रखने के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, दूरसंचार नेटवर्क पर संचार की निजता तथा गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए एकीकृत दूरसंचार लाइसेंस में उचित शर्तों को शामिल किया गया है। सुरक्षा परीक्षण रूपरेखा को दूरसंचार उपकरण के अनिवार्य परीक्षण तथा प्रमाणन की समग्र रूपरेखा (एमटीसीटीई) के अधीन रखा गया है। सरकार ने हाल ही में 'दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निदेश' अधिसूचित किए हैं जिनमें दूरसंचार क्षेत्र के लिए भरोसेमंद स्रोत और भरोसेमंद उत्पादों को चिन्हित करने की परिकल्पना की गई है।

****